



उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

(सरकार के स्वामित्वाधीन अनुसूचित बैंक)

क्षेत्रीय कार्यालय सिटी रोड, प्रतापगढ़-230001 टेलीफोन 220235, 220602, 221702

ईमेल-advances.prtro@barodauprrb.co.in

सार्वजनिक बिक्री

नीलामी सूचना

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए नीलामी बिक्री सूचना, जिसे सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के साथ पढ़ा जाए।

इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, और सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत 13/08/2024 को एक मांग नोटिस जारी किया गया था। जिसका प्रतीकात्मक कब्जा (सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत) उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक (पूर्ववर्ती बड़ौदा यूपी बैंक) के अधिकृत अधिकारी द्वारा 20/11/2024 को ले लिया गया है, उसे 'जैसा है जहाँ है', 'जैसा है वैसा है', और 'जो कुछ भी है' आधार पर बेचा जाएगा।

क्र.सं.	बकायेदार/जमानतदार का नाम, पता व खाता संख्या	अचल सम्पत्ति का विवरण	नीलामी की तिथि एवं समय धरोहर राशि की तिथि एवं समय कच्चे का प्रकार	बकाया धनराशि	आरक्षित धनराशि/ अग्रिम धनराशि/ (ईएमडी) (रु)
---------	---	-----------------------	---	--------------	---

शाखा:- मोहनगंज, खाता संख्या-53470600000331

1.	ऋणी:-श्रीमती सुशीला पत्नी विजय बहादुर वर्मा पता: ग्राम- पूरे खुसाई (पूरे लोका), पोस्ट- मोहनगंज, जिला- प्रतापगढ़ (33090) पिन-230002 जमानतकर्ता का नाम: (1) श्री सुजीत कुमार सिंह पुत्र श्री राम सिंह पता: ग्राम- पूरे खुसाई (पूरे लोका), पोस्ट- मोहनगंज, जिला- प्रतापगढ़ (33090) पिन- 230002 और (2) श्री संगम लाल पुत्र श्री राम खेलावन कौशल पता: ग्राम- पूरे खुसाई (पूरे लोका), पोस्ट- मोहनगंज, जिला- प्रतापगढ़ (33090) पिन-230002	भूमि एवं भवन फ्लॉट संख्या 448, जोकि पूरे खुसाई, परगना एवं तहसील सदर, पोस्ट-मोहनगंज, जिला- प्रतापगढ़ (उ.प्र.) में स्थित है, क्षेत्रफल- 0.031 हेक्टेयर चौहद्दी-पूरब- नरसिंह बहादुर सिंह का प्लाट पश्चिम: अंश नं. हजा और अन्य सह-हिस्सेदार उत्तर: ज्ञान सिंह का प्लाट दक्षिण: 6 फीट कच्चा रास्ता	10.02.2026 4 बजे से सांय 5 बजे तक	Rs. 4,62,403.66/- + ब्याज दिनांक 01.12.2018 एवं अन्य खर्चे	आरक्षित धनराशि Rs. 10,32,000 अग्रिम धनराशि Rs. 1,03,200
			9.02.2026 4 बजे तक		
			सांकेतिक		

नियम और शर्तें

- इच्छुक बोली लगाने वालों को अपना बिड सीलबंद लिफाफे में पैन कार्ड और फोटो पहचान पत्र के साथ जमा करना होगा (लिफाफे पर प्रकाशन की तारीख और बोली लगाने वाले का नाम लिखा होना चाहिए)
- बोली खोलने/बिक्री का काम उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक मोहनगंज शाखा जिला प्रतापगढ़ के परिसर में किया जाएगा। सभी इच्छुक पक्ष (ऋणी, गारंटर और बोली लगाने वाले) बोली खोलने में भाग ले सकते हैं।
- बोली लगाने वालों को बिड के साथ 'अधिकृत अधिकारी, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक' के पक्ष में और 'प्रतापगढ़' में देय डीडी/बैंकर्स चेक के रूप में आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत बयाना राशि जमा करनी होगी। सबसे ज़्यादा बिड मूल्य (जो आरक्षित मूल्य से कम नहीं होना चाहिए) को सफल बोली लगाने वाला माना जाएगा और असफल बोली लगाने वालों की बाकी बिड बिना ब्याज के एक सप्ताह के भीतर वापस भेज दी जाएगी।
- सफल बोली लगाने वाले को बिड राशि का 25 प्रतिशत (ईएमडी सहित) उसी दिन (या ज़्यादा से ज़्यादा अगले दिन) डीडी/बैंकर्स चेक के रूप में जमा करना होगा और बाकी 75 प्रतिशत राशि बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर सखी से भुगतान करनी होगी। यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसके द्वारा पहले जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी।
- अधिकृत अधिकारी बिना किसी कारण या पूर्व सूचना के किसी भी बिड/सबसे ज़्यादा बिड को स्वीकार/अस्वीकार/रद्द/निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अधिकृत अधिकारी बिक्री/नीलामी की तारीख बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- अधिकृत अधिकारी किसी भी प्रकार के बकाया शुल्क/ग्रहणाधिकार/भार/कर/सरकारी बकाया और अन्य पक्ष के दावों और बकाया के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम कीमत पर नहीं बेची जाएगी।
- स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण, संपत्ति कर या राज्य सरकार को देय राशि आदि का भुगतान सफल बोली लगाने वाले को करना होगा।
- बिड बिक्री बैंक की पुष्टि के अधीन होगी। संपत्तियां 'जैसी है जहाँ है', 'जैसी है वैसी है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेची जाएंगी।
- संपत्तियों के बारे में संतुष्ट होना और पुष्टि करना बोली लगाने वालों की एकमात्र ज़िम्मेदारी है। वे किसी भी वर्किंग दिन दोपहर 12:00 बजे से शाम 04:00 बजे के बीच संबंधित ब्रांच से समय लेकर प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं/निरीक्षण कर सकते हैं।
- यह नोटिस आम जनता और विशेष रूप से कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) / गिरवी रखने वालों को दिया जाता है।
- बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सिक्वॉर्ड क्रेडिटर की वेबसाइट, यानी <https://upgb.bank.in/sarfaesinotice.php> पर दिए गए लिंक को देखें।

कानूनी 30 दिन/15 दिन का नोटिस: यह नोटिस कर्जदार/गारंटर(रों) को नीलामी की तारीख से पहले उपर बताए गए बकाया का भुगतान करने के लिए एक औपचारिक नोटिस के रूप में भी काम करता है, ऐसा न करने पर, यदि कोई हो, तो शेष राशि ब्याज और लागत के साथ वसूल की जाएगी।